न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
28 / 2021 / प्रा.पत्र / 2021	06.04.2021	13.04.2023

डॉ. मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

............आवेदक

बनाम

1–श्री पदम कुमार जैन पुत्र स्व. श्री भंवरलाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स पंकज एन्टरप्राईजेज नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक राज. निवासी धान मण्डी के पास नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक राज.

2–श्री नरेश कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री राधेश्याम खण्डेलवाल पार्टनर मैसर्स प्रेमप्रकाश कैलाश चन्द एफ–5 सूरजपोल अनाज मण्डी जयपुर राज. निवासी टी.पी.एस. के पास, सी–3, राम मार्ग, शास्त्री नगर जयपुर राज.

3–श्री सुखदेव चौधरी पुत्र श्री चन्द्रराम नॉमिनी मैसर्स शुभ लक्ष्मी मल्टी सोल्यूशन प्रा. लि. गाडीश्रीरामपुर, गिरीडीह, झारखण्ड निवासी–एच–59, संजय कॉलोनी आरपी रोड, शास्त्री नगर जयपुर

4–मैसर्स शुभ लक्ष्मी मल्टी सोल्यूशन प्रा. लि. गाडीश्रीरामपुर, गिरीडीह, झारखण्ड

............अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफ.एस.एस. एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पैरोकार सरकार।

2–अभिभाषक अप्रार्थीगण उप.।

:–**निर्णय**–:

दिनांक 13.04.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 08.01.2021 को समय 04:21 पी.एम पर मैसर्स पंकज एन्टरप्राईजेज नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक पर पहुँचा। वहाँ पर श्री पदम कुमार जैन पुत्र स्व. श्री भंवरलाल जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री पदम कुमार जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **चावल प्रीमियम शुभ लक्ष्मी ब्राण्ड (Rice Premium Subh Laxmi Brand)** 25–25 किलोग्राम के 10 प्लास्टिक के कट्टों में रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री पदम कुमार जैन को फार्म न. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर बताकर कि यह **चावल प्रीमियम शुभ लक्ष्मी ब्राण्ड (Rice Premium Subh Laxmi Brand)** जिसके बैच नं. अनुपस्थित व पैकिंग की दिनांक अनुपस्थित थी, वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

किया जा रहा है, कुल 4 किलोग्राम खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 4 किलोग्राम **चावल प्रीमियम शुभ लक्ष्मी ब्राण्ड (Rice Premium Subh Laxmi Brand)** जिसको ज्यों का त्यों मूल अवस्था में चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बों में बराबर–बराबर भरकर ढक्कन से एयरटाईट बन्द किया एवं नियामनुसार चार भाग तैयार किए एवं चारों नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2778 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2778 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारो नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक द्वारा नमूना क्रय करते समय श्री पदम कुमार जैन पुत्र स्व. श्री भंवरलाल जैन ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स प्रेमप्रकाश कैलाश चन्द एफ–5 सूरजपोल अनाज मण्डी जयपुर राज. का बिल पेश किया।

वारन्टी होने के कारण आवेदक ने मैसर्स प्रेमप्रकाश कैलाश चन्द एफ–5 सूरजपोल अनाज मण्डी जयपुर राज. को पत्र प्रेषित किया जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स शुभ लक्ष्मी मल्टी सोल्यूशन प्रा. लि. गाडीश्रीरामपुर, गिरीडीह, झारखण्ड का वारन्टी बल पेश कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2021/338 दिनांक 11.02.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./136/एक्ट/2021/215 दिनांक 22.01.2021 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया गया **चावल प्रीमियम शुभ लक्ष्मी ब्राण्ड (Rice Premium Subh Laxmi Brand)** एफ.एस.एस.ए.की धारा 3(1)(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से उनके अभिभाषक श्री दिनेश कुमार शर्मा उपस्थित हुए एवं बहस की एवं

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अपनी बहस में अप्रार्थीगणों की ओर से जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **चावल प्रीमियम शुभ लक्ष्मी ब्राण्ड (Rice Premium Subh Laxmi Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **चावल प्रीमियम शुभ लक्ष्मी ब्राण्ड (Rice Premium Subh Laxmi Brand)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 10,000/–(अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 13.04.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.04.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(शिव चरण मीणा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक